कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ऑडिट-I)
उत्तर प्रदेश प्रयागराज

महत्वपूर्ण

सं: प्र०म०ले०(ऑडिट-I)/
पी.सी.-I/113
दिनांक: 14.07.2021

विषय: केन्द्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के अनुसार नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों द्वारा विकल्प फॉर्म जमा करना;

संदर्भ: पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा निर्गत गज़ट अधिसूचना दिनांक 30.03.2021 के संबंध में;

नेशनल पेंशन सिस्टम (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) के अंतर्गत आने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का ध्यान संदर्भित केन्द्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम 2021 की ओर आकृष्ट किया जाता है। नियम 10 के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना [सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972] या एनपीएस से लाभ चुनने का विकल्प दिया गया है। एनपीएस के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी कर्मचारी, सेवा में प्रवेश करते समय या सेवा में रहते हुए, उक्त उल्लिखित परिस्थितियों में एनपीएस के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए फॉर्म-1 में विकल्प का प्रयोग करेंगे तथा फॉर्म -2 में परिवार का विवरण देंगे। यदि किसी विकल्प को नहीं चुना जाता है तो ऐसे मामलों में दावों को सीसीएस (एनपीएस का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के नियम 10 के उप नियम (6) के अनुसार निपटाया जाएगा।।

इस कार्यालय के सभी अधिकारी जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, उन्हें अपने विकल्प और परिवार के विवरण क्रमशः फॉर्म-1 और फॉर्म-2 में दो प्रतियों में पीसी समन्वय (राजपत्रित कर्मचारियों के लिए पीसी- I और अराजपत्रित कर्मचारी के लिए पीसी-II) में अग्रेतर कार्यवाही हेतु विलम्बतः दिनांक 30.07.2021 तक अग्रेषित कर देना होगा। निर्धारित प्रपत्र संलग्न हैं। ध्यातव्य है कि सेवानिवृत्ति से पूर्व फॉर्म-1 में चुने गए विकल्प को कार्यालय प्रमुख को नया विकल्प जमा करके कितनी भी बार संशोधित किया जा सकता है। कालांतर में, पारिवारिक संरचना में होने वाले किसी भी परिवर्तन को बिना विलम्ब किए सूचित किया जाना होगा जिससे सूचना को अद्यतन रखा जा सके।

Sri Abhilash
16/07/21

संलग्नक: यथोपरि

14/07/21

उप महालेखाकार/प्रशासन

Scanned with CamScanner

Sub: Submission of option forms by employees covered under NPS as per Central Civil Services (Implementation of National Pension .System) Rules, 2021 reg;

Ref: Gazette Notification issued by Department of Pension and Pensioners' Welfare, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions dated 30.03.2021 reg;

Attention is invited to CCS (Implementation of NPS) Rules 2021 cited above. As per Rule 10 *ibid,* Government employees covered under National Pension System have been given option to choose benefits either from the old pension scheme [CCS (Pension) Rules, 1972] or NPS in the event of their death or discharge on invalidation or disability during service. Government servants covered by NPS shall exercise, at the time of joining service or while in service, an option in Form-1 for availing benefits under NPS under the circumstances mentioned above and submit details of family in Form-2 to the Head of Office. If no option is exercised, claims in such cases shall be dealt with according to Sub rule (6) of Rule 10 of CCS (Implementation of NPS) Rules, 2021.

All officials of this office who are covered under NPS should forward their option and family details in Form-1 and Form-2 respectively, **in duplicate,** so as to reach PC Co-ordination (PC-I for Gazetted Staff and PC-II for Non-gazetted staff) **latest by 30.07.2021** for further necessary action. The prescribed forms are enclosed. It may be noted that option exercised in Form-1 may be revised any number of times before retirement by submitting fresh option to Head of Office. Any subsequent change in family composition may also be intimated without delay for keeping the records updated.

Encl.: As above.

14/07/21

Deputy Accountant General/Admn.

Scanned with CamScanner

प्ररूप 1

सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी/अभिदाता की मृत्यु या अशक्तता या निःशक्तता होने पर कार्यमुक्ति की दशा में फायदों का उपयोग करने के लिए विकल्प

[नियम 10 देखें]

* मैं, ... इस विकल्प का प्रयोग करता हूं कि सेवा के दौरान निःशक्त होने पर सेवामुक्त होने या अशक्तता होने के कारण सेवा से सेवानिवृत्त होने या मृत्यु होने की दशा में, यथास्थिति, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियम, 1939, के अधीन फायदों का संदाय मुझे या मेरे कुटुम्ब को किया जाए।

या

* मैं, ...इस विकल्प का प्रयोग करता हूं कि सेवा के दौरान निःशक्त होने पर सेवामुक्त होने या अशक्तता होने के कारण सेवा से सेवानिवृत्त होने या मृत्यु होने की दशा में, केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन) नियम, 2021 के अनुसरण में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन व्यक्तिगत पेंशन खाते में संचित पेंशन कॉर्पस के आधार पर, फायदों का संदाय यथास्थिति मुझे या मेरे कुटुम्ब को किया जाए।

सरकारी कर्मचारी/अभिदाता का हस्ताक्षर

नाम --

पदनाम-------------------------------------

कार्यालय जिसमें सेवारत है ---------------------------

दूरभाष सं.------------------------

स्थान और तारीख:

इस विकल्प से पूर्व में मेरे द्वारा दिये गए किसी अन्य विकल्प को अधिक्रांत हो जाएंगे।

* जिन ऐसे फायदों को पूर्णतः काट दें जिनके लिए विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाना है।

(कार्यालय अध्यक्ष या प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी द्वारा भरा जाए)

केन्द्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के अधीन तारीख .... का विकल्प प्राप्त किया

श्री/श्रीमती/कुमारी द्वारा दिया गया..

पदनाम...

कार्यालय ....

प्राप्त विकल्प की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका के पृष्ठ सं. .... भाग ....में की गयी।

हस्ताक्षर,

कार्यालय अध्यक्ष या प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी का नाम, पदनाम तथा मुहर

आवेदन पत्र प्राप्ति की तारीख ....

प्राप्तकर्ता अधिकारी उपरोक्त सूचना को भरेगा और सम्यक रूप से पूर्ण प्ररूप की हस्ताक्षरित प्रति सरकारी कर्मचारी को लौटाएगा, जो उसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा जिससे यह, उसकी मृत्यु/निःशक्तता होने की दशा में उसके हिताधिकारियों को प्राप्त हो सके।

Scanned with CamScanner

कुटुंब के ब्यौरे

[नियम 10(3) देखें]

महत्वपूर्ण

1. सरकारी कर्मचारी/अभिदाता द्वारा प्रस्तुत मूल प्ररूप को प्रतिधारित किया जाए। सरकारी कर्मचारी/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी/अभिदाता द्वारा सभी परिवर्धन या परिवर्तन समर्थक दस्तावेजों सहित संसूचित किए जाएँ और स्तम्भ 7 में कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर से किए गए परिवर्तनों को इस प्ररूप में अभिलिखित किया जाए, मूल प्ररूप के स्थान पर नया प्ररूप न भरा जाए। तथापि, सेवानिवृत्त होने वाला अभिदाता सेवानिवृत्ति के समय कुटुंब के ब्यौरे दोबारा प्रस्तुत करेगा।

2. पति या पत्नी, सभी बालक और माता-पिता(चाहे कुटुंब पेंशन के लिए पात्र हों या नहीं) तथा निःशक्त सहोदरों(भाइयों और बहनों) के ब्यौरे दिये जा सकेंगे।

3. कार्यालय अध्यक्ष "टिप्पणियाँ" स्तम्भ में कुटुंब में परिवर्धन या परिवर्तन संबंधी संसूचना की प्राप्ति की तारीख उपदर्शित करेगा। निःशक्तता या कुटुंब सदस्य की वैवाहिक प्रास्थिति में परिवर्तन के बारे में तथ्य को भी "टिप्पणियाँ" स्तम्भ में उपदर्शित किया जाए।

4. पति और पत्नी में न्यायिक रूप से पृथक पति और पत्नी सम्मिलित होंगे।

5. सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के तारीख 4 नवम्बर, 1992 के कार्यालय ज्ञापन सं 1(23)-पी&पीडब्ल्यू/91-ई के अधीन विहित प्रोफार्मा में सेवानिवृत्ति के पश्चात कुटुंब संरचना में परिवर्तन के ब्यौरे संलग्न करेगा।

6. जन्म प्रमाण पत्र की प्रतियाँ संलग्न की जाएँ। कोई अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो, तो उसकी प्रतियाँ भी संलग्न की जाए।

सरकारी कर्मचारी/अभिदाता का नाम		पदनाम		राष्ट्रीयता	

कुटुंब के सदस्यों के ब्यौरे:

क्रम सं	नाम (कृपया भरने से पूर्व नीचे दी गई टिप्पणियों को देखें)	जन्मतारीख दिन/मास/वर्ष	आधार सं. (वैकल्पिक)	सरकारी कर्मचारी/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी/अभिदाता के साथ संबंध	वैवाहिक प्रास्थिति	टिप्पणियाँ	कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर और तारीख
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							

मैं .... कार्यालय अध्यक्ष को कोई भी परिवर्धन या परिवर्तन अधिसूचित करके उपर्युक्त विशिष्टियों को अद्यतन रखने का एतद्द्वारा वचन देता हूँ।

Scanned with CamScanner

कुटुंब के ब्यौरे

[नियम 10(3) देखें]

महत्वपूर्ण

1. सरकारी कर्मचारी/अभिदाता द्वारा प्रस्तुत मूल प्ररूप को प्रतिधारित किया जाए। सरकारी कर्मचारी/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी/अभिदाता द्वारा सभी परिवर्धन या परिवर्तन सम्यक हस्ताक्षरों सहित संसूचित किए जाएँ और स्तम्भ 7 में कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर से किए गए परिवर्तनों को इस प्ररूप में अभिलिखित किया जाए, मूल प्ररूप के स्थान पर नया प्ररूप न भरा जाए। तथापि, सेवानिवृत्त होने वाला अभिदाता सेवानिवृत्ति के समय कुटुंब के ब्यौरे दोबारा प्रस्तुत करेगा।

2. पति या पत्नी, सभी बालक और माता-पिता(चाहे कुटुंब पेंशन के लिए पात्र हों या नहीं) तथा निःशक्त सहोदरों(भाइयों और बहनों) के ब्यौरे दिये जा सकेंगे।

3. कार्यालय अध्यक्ष "टिप्पणियाँ" स्तम्भ में कुटुंब में परिवर्धन या परिवर्तन संबंधी संसूचना की प्राप्ति की तारीख उपदर्शित करेगा। निःशक्तता या कुटुंब सदस्य की वैवाहिक प्रास्थिति में परिवर्तन के बारे में तथ्य को भी "टिप्पणियाँ" स्तम्भ में उपदर्शित किया जाए।

4. पति और पत्नी में न्यायिक रूप से पृथक पति और पत्नी सम्मिलित होंगे।

5. सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के तारीख 4 नवम्बर, 1992 के कार्यालय ज्ञापन सं.1(23)-पी&पीडब्ल्यू/91-ई के अधीन विहित प्रोफार्मा में सेवानिवृत्ति के पश्चात कुटुंब संरचना में परिवर्तन के ब्यौरे संलग्न करेगा।

6. जन्म प्रमाण पत्र की प्रतियाँ संलग्न की जाएँ। कोई अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो, तो उसकी प्रतियाँ भी संलग्न की जाएं।

सरकारी कर्मचारी/अभिदाता का नाम		पदनाम		राष्ट्रीयता	

कुटुंब के सदस्यों के ब्यौरे:

क्रम सं.	नाम (कृपया भरने से पूर्व नीचे दी गई टिप्पणियाँ को देखें)	जन्मतारीख दिन/मास/वर्ष	आधार सं. (वैकल्पिक)	सरकारी कर्मचारी/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी/अभिदाता के साथ संबंध	वैवाहिक प्रास्थिति	टिप्पणियाँ	कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर और तारीख
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							

मैं .... कार्यालय अध्यक्ष को कोई भी परिवर्धन या परिवर्तन अधिसूचित करके उपर्युक्त विशिष्टियों को अद्यतन रखने का एतद्द्वारा वचन देता हूँ।

Scanned with CamScanner

ई-मेल:(वैकल्पिक)...................... स्थान ....

मोबाइल:(वैकल्पिक)......................... तारीख......................... (हस्ताक्षर)

--आधार सं. देना वैकल्पिक है। तथापि, यदि यह दिया जाता है, तो इसे केवल पेंशन से संबंधित उद्देश्य के लिए बैंक खाते से जोड़ने और यूआईडीएआई से सहमति के प्रमाणीकरण के लिए सहमति दी गई, समझा जाएगा।

Form 1

OPTION TO AVAIL BENEFITS IN CASE OF DEATH OR DISCHARGE ON INVALIDATION OR DISABILITY OF GOVERNMENT SERVANT / SUBSCRIBER DURING SERVICE

[See rule 10]

* I, ... hereby exercise option that in the event of my discharge from service on the account of disability or retirement from service on account of invalidation or Death during service, benefits under CCS(Pension) Rules, 1972 or CCS(Extraordinary Pension) Rules, 1939 as the case may be, may be paid to me or my family.

OR

* I, ... hereby exercise option that in the event of my discharge from service on the account of disability or retirement from service on account of invalidation or Death during service, benefits may be paid to me or my family, as the case may be, based on the accumulated pension corpus in the Individual Pension Account under the National Pension System in accordance with the CCS(Implementation of National Pension System) Rules, 2021.

Signature of Government servant / Subscriber
Name------------------------------------
Designation----------------------------
Office in which employed----------------------------
Telephone No.-----------------------

Place and date:

This option supersedes any other option made by me earlier.
* Completely strike out the benefits for which option is not intended to be made.

(To be filled in by the Head of Office or authorised Gazetted Officer)

Received the option dated ...., under CCS (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 made by Shri/Smt./Kumari ...., Designation.. Office... Entry of receipt of option has been made in page ....Volume.............of Service Book.

Signature,

Name and Designation of Head of Office or authorized Gazetted Officer with seal
Date of receipt..

The receiving Officer will fill the above information and return a duly signed copy of the complete Form to the Government servant who should keep it in safe custody so that it may come into the possession of the beneficiaries in the event of his/her death/ invalidation.

Scanned with CamScanner

FORM 2

Details of Family

[See rule 10(3)]

Important

1. The original Form submitted by the Government servant / Subscriber is to be retained. All additions or alterations are to be communicated by the Government servant/retired Government servant / Subscriber alongwith the supporting Documents and the changes shall be recorded in this Form under the signature of Head of Office in Col 7. No new Form will substitute the original Form. However, the retiring Subscriber should submit the details of family afresh at the time of retirement.

2. The details of spouse, all children and parents (whether eligible for family pension or not) and disabled siblings (brothers and sisters) may be given.

3. The Head of Office shall indicate the date of receipt of communication regarding addition or alteration in the family in the 'Remarks' column. The fact regarding disability or change of marital status of a family member should also be indicated in the 'Remarks' column.

4. Wife and husband shall include judicially separated wife and husband.

5. The retired Government servant shall attach the details of change in family structure after retirement in the proforma prescribed under Dept. of P.& P.W., O.M No. 1 (23)-P.&P. W/91-E, dated the 4th November, 1992.

6. Copies of birth certificates to be attached. Copies of any other relevant certificates, if available, should be attached.

Name of the Government servant / Subscriber		Designation		Nationality	

Details of family members:

S.N.	Name (Please see notes below before filling)	Date of birth (DD/MM/YYYY)	Aadhaar no.* (optional)	Relationship with Govt. servant/ retired Government servant / Subscriber	Marital status	Remarks	Dated signature of Head of Office
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							

Scanned with CamScanner

I hereby undertake to keep the above particulars up to date by notifying to the Head of Office any addition or alteration.

E-mail:(Optional)		Place:		
Mobile:(Optional)		Date		
				(Signature)

Providing Aadhaar No. is optional. However, if it is provided, consent to link it to Bank Account and also for authentication of identity from UIDAI for pension related purpose only, is presumed.

Scanned with CamScanner